राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–80/2008/जयपुर
(अपील सं. 737/2007 व अपील सं. 1326/2007 में पारित
संयुक्त आदेश दिनांक 02.09.2008 के सम्बन्ध में)

मैसर्स मै. टाटा. मोटर्स लि, जयपुर
(नया नाम मै. टाटा. इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि.) ...प्रार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, तृतीय, जयपुर। ...अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.08.2017

निर्णय

1. यह संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2008 व्यवहारी मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि.) जयपुर द्वारा अपील सं. 1326/2007 व अपील संख्या 737/2007 में माननीय कर बोर्ड की सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 02.09.2008 के संबंध में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है जो पूर्व में सम्माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 22.09.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया था परन्तु व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी. सेल्स टैक्स (VAT) रिविजन सं. 19/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2017 द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र में वर्णित बिन्दु को संशोधन की श्रेणी में मानकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.1997 को किया गया था। वक्त सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी ने अप्रार्थी व्यवसायी द्वारा वाहनों के बिक्री के बिल संख्या 8488,8489 पर दिनांक 11.03.1997 अंकित पायी। इन बिलों पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है जबकि गेटपास नम्बर 1183 दिनांक 12.03.1997 के अनुसार उक्त दोनों वाहनों के चेसिस "परिदान" लिये जाने के पूर्व निरीक्षण (Pre delivery inspection) हेतु मैसर्स आर.डी.बी. हाईवे सर्विस सेन्टर जयपुर को भेजे गये थे जो अप्रार्थी व्यवसायी का अधिकृत सर्विस सेन्टर है। इसी सर्वेक्षण मे अन्य चेसिसों की भी इसी तरह से बिक्री घोषित की गयी है जो कि माह नवम्बर 1986 से 11.03.1997 तक की अवधि में की गई है परन्तु उन सभी का निरीक्षण

लगातार.............2

12.03.1997 के पश्चात की तिथियों में किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि अप्रार्थी व्यवसायी जानबूझकर वाहनों के विक्रय बिल्स पूर्व दिनांको में बनाये गये है जबकि वाहनों की डिलीवरी पूर्व निरीक्षण बाद की तिथि (12.03.1997 के पश्चात) किया गया है जबकि दिनांक 12.03.1997 को कर दर बढ गई थी। इन तथ्यों के पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त तृतीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) कर निर्धारण वर्ष 1996–97 हेतु धारा 32 रा.वि.क. अधिनियम 1994 के अर्न्तगत आदेश पारित करते हुये अन्तर कर राशि रू 1,68,85,429/–, शास्ति राशि रू. 3,37,70,838/–, ब्याज राशि रू. 54,03,337/– कुल राशि रू 5,60,59,624/– की वसूली निर्धारित की।

3. व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेश दिनांक 14.07.1999 के विरूद्व उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर द्वितीय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2006 द्वारा 4 वाहनों की विक्रय राशि रू 15,59,890/– पर अरोपित अन्तर कर, धारा 65 के तहत दोगुनी शास्ति एवं धारा 58 के तहत ब्याज यथावत रखा एवं शेष 358 वाहनों की विक्रय कीमत राशि रू 20,96,66,447/– पर आरोपित अंतर कर, शास्ति व ब्याज अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे इस संबंध में धारा 2(38), भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 20 के प्रावधानों के आलोक में विक्रय संविदा के सशर्त होने के तथ्य एवं दस्तावेजों की गहन जांच कर व्यवसाई को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे।

4. व्यवहारी ने उपरोक्त आदेश दिनांक 28.12.2006 के विरूद्व विवादित टर्नओवर 15,59,890/– पर आरोपित अन्तर कर को 1,24,791/– रू शास्ति 2,49,582/– रू व ब्याज राशि रू 39,933 को चुनौती दी। राजस्व की ओर से भी इसी आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील संख्या 1326/2007 के जरिये चुनौती दी गयी जिसमें अन्तर कर 1,67,60,638/– रू शास्ति राशि रू 3,35,21,276/– एवं ब्याज राशि रू. 5,36,444/– कुल राशि रू 5,08,18,258/– को विवादित किया। माननीय कर बोर्ड राजस्थान, अजमेर की खण्डपीठ ने दोनों अपीलों में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 02.09.2008 द्वारा दोनों अपीलें अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा। इस आदेश दिनांक 02.09.2008 में यह भी अतिरिक्त निर्देश दिये कि रिमाण्ड प्रकरण के आदेश पारित करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि व्यवसायी की लेखा पुस्तकों में इन सभी वाहनों की बिक्री करने के पश्चात देय कर निर्धारित समयावधि में जमा करवाया है या नहीं, यदि देय कर दिनांक 12.03.1997 के पश्चात जमा करवाया है तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से व्यवसायी के विरूद्व प्रसंज्ञान लेना उचित होगा।

लगातार.............3

5. व्यवसायी द्वारा माननीय कर बोर्ड की अतिसम्माननीय पीठ द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 02.09.2008 के सम्बन्ध में रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2008 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा टर्नओवर राशि रू 20,96,66,447 / — के संबंध में रिमाण्ड बिन्दु पर तो टैक्स बोर्ड ने निर्णय पारित कर दिया है परन्तु टर्नओवर राशि रू 15,59,890 / — के संबध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तो रेक्टिफिकेशन कर इस संबध में निर्णय पारित किया जावे। यह भी कहा गया कि अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि राशि रू 18,44,35,074 / — के संबंध में कोई नोटिस नही दिया गया था, जिससे पुनः सुनवाई का प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं था क्योंकि लिमिटेशन पहले से समाप्त हो चुकी थी। माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ दिनांक 22.09.2011 ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.2011 द्वारा रेक्टिफिकेशन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि वांछित संशोधन रेक्टिफिकेशन की श्रेणी में नहीं आते।

6. व्यवसायी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 22.09.2011 व 02.09.2008 के विरूद्व एस.बी. सैल्स टैक्स रिविजन सं 19 / 2012, 108 / 2010 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.01.2017 द्वारा यह निर्देशित किया है कि व्हीकल की विक्रय राशि रू 15,59,890 / — के संबध में निर्णय दिनांक 02.09.2008 में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या रिकार्ड पर प्रत्यक्षदर्शी भूल है, जिसे रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र के माध्यम से संशोधित किया जावे। मानीनय उच्च न्यायालय ने राशि रू 15,59,890 / — के संबंध में 3 माह में पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया। मूल आदेश की याचिका प्रभाव शून्य होने के कारण खारिज की गई।

7. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण को 3 माह में सुनवाई कर निस्तारित करने के आदेश दिये जिसके क्रम में सम्माननीय खण्डपीठ ने 15.05.2017 को सुनवाई करली थी परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय जो खण्डपीठ में वरिष्ठतम थे, के स्थानान्तरण होने के कारण निर्णय पारित नहीं किया जा सका व उक्त खण्डपीठ द्वारा दिनांक 25.07.2017 को सुनवाई कर निर्णय हेतु पत्रावली आरक्षित रखी गई।

8. बहस विद्वान उभयपक्षय बहस सुनी गयी।

9. विद्वान अभिभाषक व्यवसायी ने कथन किया कि कर दर दिनांक 12.03.97 को 4 प्रतिशत से बढाकर 12 प्रतिशत कर दी गई तथा व्यवसायी ने 4 व्हीकल्स इस वृद्धि की घोषणा से पूर्व में विक्रय राशि 15,59,890 / —के प्रतिफल पर विक्रय कर दिये थे। कर दर बढाने की घोषणा से पूर्व विक्रय किये गये व्हीकल पर बढी कर दर आरोपित नहीं की जा सकती। सेल रोके जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त 4 व्हीकल की राशि पर अन्तर कर आदि अपास्त किया जावे। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय राजस्थान टैक्सेशन

लगातार.............4

ट्रिब्यूनल, बैंच जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2608/1979 एम.एस. बॉम्बे मोटर कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 22.05.96 आर.टी.टी. 1997 पेज 101, एस.टी.सी. (वोल्यूम 121) पेज 54 गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लि. बनाम राजस्थान राज्य, टैक्स अपडेट वोल्यूम 9 पार्ट प्रथम पेज 17 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

10. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर वृद्धि बाबत् गजट नोटिफिकेशन दिनांक 12.03.97 को प्रकाशन हो गया था व दरें तत्काल प्रभाव से उसी दिनांक लागू हो गई थी। करारोपण, शास्ति व ब्याज विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जावे।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

12. प्रकरण में व्यवसायी ने अपील सं. 737/2007 में व्हीकल की टर्नओवर राशि रू 15,59,890/– पर आरोपित कर राशि रू 1,24,791/– शास्ति राशि रू. 2,49,582/– एवं ब्याज राशि रू 39933/– को यथावत रखने को चुनौती दी थी। इस अपील में यह आधार लिया गया था कि कर दर में बढोतरी 4 प्रतिशत से बढाकर 12 प्रतिशत दिनांक 12.03.1997 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा की गई थी। यह गजट नोटिफिकेशन आम जनता को सामान्यतयाः प्रकाशन के अगले दिवस को उपलब्ध होता है। व्यवसायी द्वारा 12.03.1997 का जिन व्हीकल की बिक्री की गई है उन पर बढी हुई दरों से कर नहीं वसूला जा सका, जिससे 12.03.1997 को की गई बिक्री पर बढी दर से करारोपण आदि विधिसम्मत नहीं है।

13. माननीय कर बोर्ड ने निर्णय दिनांक 02.09.2008 में इस बिन्दु पर कोई आदेश पारित नहीं किया है जिसके संबंध में प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता है।

14. अपील व रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र में लिये गये आधार पर मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि कर दर में बढोतरी बजट नोटिफिकेशन दिनांक 12.03.1997 का प्रभाव 12.03.197 को की गई व्हीकल के विक्रय पर लागू होगा या नहीं। इस संबंध में विद्धान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एस.टी.सी. (वोल्यूम 121) पेज 54 गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लि. बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :–

54. In the present case, neither the petitioners have averred in their writ petition nor in their rejoinder affidavit that notification dated October 15, 1999 and clarificatory notification dated December 30, 1999 were not published and these two notifications were not available to them after its publication in Official Gazette. In view of the facts mentioned hereinabove, this Court raises presumption under section 114(e) of the Evidence Act which provides that judicial and official acts are regularly perfomed. In the cirumstances of present case, it is held that principle of natural justice requires that before the entry tax on cigarettes brought into local area for

लगातार.............5

consumption, used or sale therein is made operative against the petitioners on the basis of notification dated October 15, 1999, annexure 2 to the writ petition and clarificatory notification dated December 30, 1999 published in Official Gazette on January 6, 2000, annexure R-1 to the reply, tax levied qua the petitioners udner Act No. 13 of 1999, is made recoverable from them from the next date of publication of clarificatory notification on januuary 6, 2000, i.e., with effect from January 7, 2000.

55. There is yet another reason to arrive at the aforesaid conclusion. The expression "notification in Official Gazette", used under Act no. 13 of 1999. means its publication within the meaning of the Rajasthan Gazette (Rajpatra) Act, 1956. It is to be noticed that to facilitate the interpretation of laws enacted by State Legislature, Rajasthan General Claused Act, 1955 has been enacted, wherein, under section 25, publication of orders, notification, etc., in Rajasthan Gazette, is to be deemed to be due publication. In a democratic coutnry like ours, mere publication is not sufficient, unless, it is made available to the public at large. Looking to the decision rendered in the case of New Tobacco Co. [1998] 109 STC 3796 (SC); (1998) 8 SCC 250, it is held that after publication of the notification dated December 30, 1999, which is found to be published on January 6, 2000, shall be deemed to be available to public at large including the petitioners at least on January 7, 2000. it is to be imbibed that in legal terminology, day includes night, therefore, the publication of notification in official gazette, on january 6, 2000, can be extended up to 12 midnight. In such a siutation, by necessary implication, it can be presumed that the clarificatory notification publisehd on January 6, 2000, was made available for general public on January 7, 2000. Hence, January 7, 2000 is to be taken to be the day on which the aforesaid notification partakes the shape of law. It is well to remember in this regard that if two inferences are possible from the date of publication of notification on January 6, 2000, then, the inference which is in favour of subject, is to be preferred. As a result of the aforementioned discussion, the constitutional validity of Act No. 13 of 1999, is hereby upheld. The notification dated October 15, 1999, annexure 2 to the writ petition and clarificatory notification dated December 30, 1999, annexure R/1, to the reply filed by respondents published in Official Gazette on January 6, 2000 in the Rajasthan Rajpatra, are hereby declared legal and valid and the circular dated October 23, 1999, annexure 3 to the writ petition, is declared per se illegal and is hereby quashed, with a direction to the respondents, making entry tax on cigarettes qua petitioners recoverable, with effect from January 7, 2000. The writ petition is finally disposed of on merits, accordinly. In the peculiar facts and circumstances of the case both the parties are left to bear their own costs.

इस न्यायिक दृष्टांत में Clarification Notification प्रकाशन दिनांक 06.01.2000 की प्रभावशीलता 07.01.2000 से मानी गई है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2608/1979 एम.एस. बॉम्बे मोटर कम्पनी बनाम राजस्थान राज्य में पारित

लगातार.............6

निर्णय दिनांक 22.05.96 आर.टी.टी. 1997 पेज 101 में अधिसूचना दिनांक 15.09.88 जिसके द्वारा स्कूटर पर कर दर में बढोतरी की थी का राजपत्र में प्रकाशन तो 15.09.88 को हो गया था परन्तु याचिकाकर्ता का कथन था कि उसे इस तथ्य की जानकारी समाचार पत्र दिनांक 16.09.88 से हुई। माननीय बैंच ने 2:1 के बहुमत से यह निर्णय पारित किया है कि समान्यतयाः लोगो को जानकारी 15.09.88 को नहीं हुई थी जिससे याचिका के तथ्यों एवं संदर्भ में याचिका स्वीकार करते हुये डिमाण्ड नोटिस खारिज किया है।

15. विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में विवादित बिन्दु भी उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के समान है जिससे प्रकरण के तथ्यों व सन्दर्भ के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा 12.03.1997 को किये गये 4 व्हीकल पर बढी हुई दरे प्रभावशील नहीं मानी जायेगी।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.03.1997 को विक्रय किये गये 4 व्हीकल जिनका टर्न ओवर 15,59,890 / – रू था के सम्बन्ध में कर, ब्याज व शास्ति को चुनौती दी है, की सीमा तक स्वीकार किया जाता है तथा 4 व्हीकल के टर्न ओवर की राशि रू. 15,59,890 / – पर आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति निरस्त की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष